

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक : मुसप्र/नीलामी/2019/734

दिनांक :- ३०/७/२०१९

आदेश

आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, उप आवासन आयुक्त वृत्त-तृतीय, जयपुर एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर के अधीन बनास विहार आवासीय योजना, टॉक में निर्मित आवास संख्या 4/37, मध्यम आय वर्ग-अ, क्षेत्रफल 120.00 व.मी. का नीलामी के माध्यम से मण्डल की संचालक बैठक 229.21 के बिन्दु सं. 2 की पालना एवं उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर द्वारा की गई अनुशंसा के आधार पर निस्तारण करने की स्वीकृति एतद प्रदान की जाती है।

संबंधित उप आवासन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-प्रथम, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि उक्त वर्णित स्वतन्त्र आवास का नीलामी के माध्यम से निस्तारण निम्न शर्तों पर किया जाना सुनिश्चित करें :-

1. आवासीय योजना में आवास/फ्लैट/आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक सहित, ऐसे आवेदक भी जिनकी याचिका पर माननीय न्यायालय द्वारा अन्तरिम/अन्तिम आदेशों के जरिये याची को आवास/फ्लैट/आवंटित करने के निर्देश प्रदत्त किये हुए हो लम्बित नहीं है।
2. आवासीय योजना में नीलामी योग्य सभी आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों की अनुमति प्राप्त करने संबंधी इकजाई प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाकर, इस तथ्य को प्रभाणन भी किया जावें, की उस योजना में नीलामी योग्य अन्य आवासीय संपदा उपलब्ध नहीं है। सक्षम स्वीकृति के उपरान्त, न्यूनतम बिड मूल्य निर्धारण हेतु मण्डल के आदेशांक राजस्व/11/2014-15/37 दिनांक 17.06.2014 द्वारा जारी निर्देशों की पालना की जावें।
3. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से किया जावें।
4. नीलामी हेतु प्रस्तावित आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के संबंध में किसी प्रकार का कोई विवाद अथवा न्यायिक वाद विचाराधीन नहीं हैं। “निस्तारण हेतु प्रस्तावित आवासों बाबत् किसी भी न्यायिक प्राधिकरण के समक्ष इनमें से कोई भी आवास किसी प्रकार से आरक्षित रखने बाबत् कोई आश्वासन/शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है।
5. आवास/फ्लैट/आवासीय भूखण्डों के न्यूनतम बिड मूल्य के साथ समकक्ष आवास/भूखण्ड की पूर्व में स्वीकृत/अस्वीकृत बिड की सूचना भी प्रस्तुत की जावें।

उक्त आदेश को माननीय आवासन आयुक्त का पैरा संख्या 13/एन पर अनुमोदन प्राप्त है।


गुरुख्य सम्पदा प्रबंधक

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ :-

1. निजी सचिव—अध्यक्ष / आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव—सचिव / वितीय सलाहकार / निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता—प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव—मुख्य सम्पदा प्रबंधक, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, रा०आ०म०, वृत्—तृतीय, जयपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड—तेरह, रा०आ०म०, जयपुर।
8. सयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर डलवायें व सभी संबंधित उप आवासन आयुक्त / आवासीय अभियन्ता को मेल करें।
9. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु०), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
10. रक्षित पत्रावली।


मुख्य सम्पदा प्रबंधक